न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **239/2019**

प्रार्थीगण :-

1. मोडाराम पुत्र गोकलाराम
2. रामदयाल पुत्र मोडाराम जाति कलबी, निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. अणदाराम पुत्र मोटाराम
2. कोजी बेवा मोटाराम
3. मानाराम पुत्र सवाराम
4. सुराराम पुत्र सवाराम
5. बाबूराम पुत्र सवाराम
6. कोंकुदेवी बेवा सवाराम
7. खंगाराराम पुत्र पेमाराम सभी जातियान कलबी, निवासीयान बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136, 111 राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम तथा धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'निर्णय'

दिनांक :- 13.07.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा बुडीवाडा के खसरा नबर 885/242 कुल क्षेत्रफल 27.12 बीघा के खातेदार कृषक है। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ग्राम बुडीवाडा के खसरा सख्या 886/242 कुल क्षेत्रफल 27.12 बीघा के खातेदार कृषक है। विप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 ग्राम बुडीवाडा के खसरा नम्बर 241 कुल क्षेत्रफल 40.14 बीघा भूमि के खातेदार कृषक है। विप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार पचपदरा भूमिधारी होने से पक्षकार विप्रार्थी दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट 04 दिनाक 10.8.2016 क द्वारा राजकीय भूमि खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते/सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु एक व्यापक अभियान वर्ष 2016-17 मे चलाया गया था। विप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार पचपदरा ने दिनांक 30.12.2016 को ग्राम बुडीवाडा के मौके पर चल रहे रास्ता को [illegible] दर्ज करने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया। [illegible] 12.2016 को प्रकरण संख्या 653/2016 अतर्गत धारा 136 [illegible] रजिस्टर कर विप्रार्थीगण खातेदारान को नोटिस जारी करने के आदेश दिये [illegible] न्यायालय श्री ने अपने [illegible] दिनांक 11.02.2017 के द्वारा तहसीलदार पचपद[illegible] के आवेदन को स्वीकार [illegible] तहसीलदार पचपदरा ने अपने आवेदन पत्र में व्यक्त किया कि आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते /सडक के रास्ते को सबंधित खातेदारो की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार रास्त दर्ज करने के आदेश दिये जावे। न्यायालय श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:29:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

ने दिनांक 11.02.2017 को मौजा बुडीवाडा मे अवस्थित खसरा नं0 238, 883/237, 874/231, 873/231, 875/231, 888/243, 241, 886/242, 885/242, 230, 250, 247, 887/243 रकबा 0.03, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.19, 0.13, 0.14, 0.16, 0.08 0.09, 0.10 बीघा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश देते हुए रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में दर्ज रखने तथा परिशिष्ट 'ब' नजरी नक्शा निर्णय का भाग होने के आदेश देते हुए परिशिष्ट 'ब' ट्रेस में रास्ता जो लाल स्याही से ए से बी मार्क किया गया, इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा न0 885/242 तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा न0 886/242 तथा विप्रार्थी संख्या 3 से 7 की कृषि भूमि खसरा नं0 241 में भी आदेश दिनांक 11.02.2017 की पालना में परिशिष्ट 'ब' अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जाना अपेक्षित था। अतः न्यायालय श्री के आदेश दिनांक 11.02.2017 संलग्न परिशिष्ट 'ब' एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'ब'एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' मे लाल स्याही से चिन्हित 'अ' से 'ब' भाग तक रास्ते की तरमीम दुरूस्त करने व प्रार्थीगण के खातेदारी खेत नम्बर 885/242 के नक्शा लटठा ट्रेस में दक्षिण–पूर्व की तरफ विप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के खेत खसरा नंबर 886/242 की, की गयी गलत तरमीम को भी दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 3 ता 7 की और वकील ने अंडरटेकिंग पेश के बावजूद भी अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से विशेष कथन मय प्रतिप जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बुडिवाडा में मुल खसरा सं. 242 रकबा 55.04 बीघा रहा, जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का था, तथा 1/2 हिस्सा विप्रार्थी सं. 01 व 02 का रहा, मुल खसरा सं. 242 के दो तरमीमी खसरान् 885/242, 886/242 बने, जिनके खतौनी व नक्शा तत्समय में यानि सन् 1978 में जुदा किये गये, बाद विभाजन अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है, इसी अनुसार खाता पासबुक जारी की गई। किन्तु बिना किसी पर्याप्त हेतुक के ही खसरा सं. 241 के जुडते हिस्से की तरफ उक्त विप्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 886/242 की तरमीम अंकित कर दी जो अशुद्व है। वर्तमान लटटा ट्रेस मे दर्ज तरमीम अनुसार प्रार्थी का कोई कब्जा ही नही है, बल्कि जबाव क संलग्न नक्शा व पासबुक के संलग्न नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। रेकर्ड नक्शा में अशुद्व तरमीम अंकित होने से हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। खसरा सं0 886/242 रकबा 27.12 बीघा मौजा बुडीवाडा की तरमीम सन् 1978 में जारी पासबुक के संलग्न नक्शाअनुसार दुरस्त की जावें।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण संख्या 1व 2 का जबाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' मे लाल स्याही से चिन्हित 'अ' से 'ब' भाग तक रास्ते की तरमीम दुरूस्त कर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 885/242 के नक्शा लटठा ट्रेस में दक्षिण–पूर्व की तरफ विप्रार्थीगण स[illegible] के खेत खसरा नं 886/242 की, की गयी गलत तरमीम हल्का पटवारी, [illegible] के द्वारा केवल तरमीम खतौनी तैयार करवाते समय क. सं. 6 पर विप्रार्थीगण [illegible] खसरा न0 886/242 लिखा गया है जो केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि से ही की जाना प्रतीत होती है। क्योकी रास्ता हेतु प्रस्तावित रास्ते में उक्त खसरे की भूमि प्रस्तावित नहीं है। अतः प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:29:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा सरहद मौजा बुडीवाडा के खसरा नंबर 885/242 कुल क्षेत्रफल 27.12 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ग्राम बुडीवाडा के खसरा संख्या 886/242 कुल क्षेत्रफल 27.12 बीधा की भूमि तरमीम गलत की गई है। राजस्व आवेदन संख्या 653/2016 अनवान राज राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा बनाम गायत्री देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के अनुरूप तरमीम लट्ठा ट्रैस में नहीं की जाना स्पष्ट साबित है। प्रार्थी के खेत खसरा न0 885/242 में विप्रार्थीगण के खेत खसरा न0 886/242 की हुई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जावें व राजस्व आवेदन संख्या 653/2016 अनवान राज राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा बनाम गायत्री देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 में परिशिष्ट 'ब' अनुरूप नक्शे में रास्ता दुरूस्त किया जावे। पूर्व में पटवारी हल्का व भू. अभिलेख निरीक्षक के द्वारा रास्ता हेतु प्रस्तावित तरमीम खतौनी के क्र सं. 06 पर खसरा न0 886/242 का लिपिकीय त्रुटि से अंकन किया गया है जिसे हटाया जावें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि तदानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त की जाकर पालना पन्द्रह योम में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:29:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner